

डिगरी बमूकदमें इबादाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाबा दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.

वादी:-

1-सत्यनारायण पुत्र हिम्मता जाति माली
निवासी रियांबडी तहसील रियांबडी

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1-तहसीलदार रियांबडी
2-पटवारी हलका रियांबडी

दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955. मुकदमान राजस्व वाद संख्या:-130/2018 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रुबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

"मौजा रियांबडी के खसरा नंबर 943 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 944 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नंबर 945 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 951 रकबा 0.5500 हैक्टर, कुल रकबा 1.2900 हैक्टर भूमि में वादी का नाम जालाराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र हिम्मताराम दर्ज किया जावे।"

.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....
.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

नोट:-उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख :- 05.6.2018

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबडी (गोर)

राजस्व लोक अदालत

कैम्प-रियांबडी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुहायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुकमीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक मीजान		

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबडी (गोर)

राजस्व लोक अदालत

कैम्प-रियांबडी